न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 3268 / 04 / भीलवाडा

लादूलाल पुत्र भंवरलाल चोरडिया साकिन लाछूडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– श्री मठ महादेवजी स्थान लाछूडा जरिये पुजारी नानूगिरी पुत्र शंकरगिरी गुसाई पुजारी खडमदार साकिन लाछूडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।
2– तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 12 जुलाई, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–109/01 शीर्षक लादूलाल बनाम श्री मठ महादेवजी को खारिज किया है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / अपीलान्ट ने एक दावा संख्या–17/96 अन्तर्गत धारा–88–188–92A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक लादूलाल बनाम श्री मठ महादेवजी, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसील आसीन्द ग्राम लाछुडा के साबिका खसरा नम्बर–2353/1 रकबा 7.04 बीघा जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 में शंकरगिरी पुत्र उमरावगिरी

का 1/2 हिस्सा व माधोगिरी पुत्र हमीरगिरी का 1/2 हिस्सा दर्ज था। माधोगिरी ने अपने 1/2 हिस्सा का विक्रय वादी / अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4–9–1974 को कर दिया। विक्रय पत्र के आधार पर वादी / अपीलान्ट के पक्ष में इन्तकाल संख्या–880 दिनांक 10–11–1974 स्वीकृत किया गया। भू प्रबन्ध के दौरान साबिका खसरा नम्बर–2353/1 हाल खसरा नम्बर–379 रकबा 0.37 हेक्टेयर व 3797 रकबा 0.36 हेक्टेयर पैमूद कर वादी / अपीलान्ट का नाम हटा दिया गया तथा प्रतिवादी / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट श्री मठ महादेवजी का नाम अंकित कर दिया गया। भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व के अंकन को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इसलिये दावा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जावे। दावा एवं जवाबदावा के आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा छः तनकी बनाई गई। तनकी अनुसार निर्णय करते हुये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8–5–2001 के द्वारा वादी / अपीलान्ट का दावा साबित नहीं होने पर खारिज कर दिया गया। वादी / अपीलान्ट ने विद्वान उप खण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8–5–2001 के विरूद्ध प्रथम अपील संख्या–109/01 शीर्षक लादूलाल बनाम श्री मठ महादेवजी न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8–5–2001 तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने प्राथमिक आपत्ति करते हुये निवेदन किया कि विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27–7–2004 को प्रस्तुत की गयी है, जो निर्धारित समयावधि के प्रस्तुत की गयी है। आदेश–41 नियम–3-A सी.पी. सी. के तहत अपील को गुण–अवगुण पर निर्णित करने से पूर्व अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम को निर्णित किया जाना आवश्यक है।

4– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम पर बहस सुनी गयी।

अपील डिक्री / टी.ए. / 3268 / 04 / भीलवाडा
लादूलाल बनाम श्रीमठ महादेवजी व अन्य

5– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 की जानकारी उसके अभिभाषक द्वारा नहीं देने के कारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 की जानकारी वादी / अपीलान्ट को नहीं हो सकी। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का समुचित कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम में मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का समुचित कारण है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को उपमर्षित किया जाकर अपील को अन्दर अवधि शुमार किया जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के समक्ष अपील वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। वादी / अपीलान्ट को अपने प्रकरण के बारे में जागरूक रहना चाहिये था। अगर किसी अभिभाषक ने गलत कार्य किया है तो उसके अभिभाषक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये। जब अभिभाषक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गयी है तो यह माना जायेगा कि विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 की जानकारी निर्णय पारित करने के दिन से वादी / अपीलान्ट को थी। धारा–5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सके। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम को खारिज कर अपील मियाद बाहर मानकर खारिज की जावे।

7– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया।

8– धारा–228(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 90 दिन है। अभिभाषक द्वारा सूचना नहीं दिया जाना अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई समुचित कारण नहीं है। पक्षकार को अपने प्रकरण का खुद ध्यान रखना चाहिये। यह तथ्य सही है कि मियाद के बिन्दू को निर्णित करते समय न्यायालय को लचीला रूख अपनाना चाहिये। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो पक्षकार स्वयं लापरवाह हो, उसे इस लचीलापन का फायदा दिया जावे।

विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27–4–2007 को लगभग 32 माह के पश्चात प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम में ऐसा कोई भी आधार नहीं है जिसे देरी को माफ करने का समुचित आधार कहा जा सके।

A.I.R. 1998 (S.C.) Page-2276

(C)Limitation Act (36 of 1963), S. 5 - Delay - Condonation of - Law of limitation has to be applied with all its rigour prescribed by statute - Courts have no power to extend period of limitation on equitable grounds.

9– इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दू को कठोरता से लागू करना चाहिये। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम को समुचित कारण नही होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

10– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील भी निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष

अपील डिक्री / टी.ए. / 3268 / 04 / भीलवाडा

लादूलाल बनाम श्रीमठ महादेवजी व अन्य